XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.992–दो / 11 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–15	आवेदक की ओर से श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभि. उप. । आवेदक अभि. इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते । अतः आवेदक के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय– श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... /11 निगरानी

R-992-III/2011

रामलखन शर्मा पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण

निवासी ग्राम पचौरी का पुरा तह. पोरसा,

जिला मुरैना (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1) सर्व ब्राह्मण समाज विकास कल्याण समिति,

पोरसा जिला मुरैना (म.प्र.)........असल/अनावेदक

2) रामखिलाड़ी

3) रामगोपाल

पुत्रगण गंगाधर जाति ब्राह्मण

निवासी ग्राम पचौरी का पुरा तह. पोरसा,

जिला मुरैना (म.प्र.) ....तरतीवी/अनावेदक

27.06.11

27/6/11

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 16/06/11 न्यायालय –श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र. क्र. 106/10–11 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है।

1) यह कि ग्राम पोरसा जिला मुरैना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1393/1 जिन के भूमि स्वामी व अधिपत्यधारी आवेदक के बाबा करनसिंह आजीवन रहे।

2) यह कि अनावेदक क्र.1 संस्था द्वारा एक फर्जी वसियत नामा के आधार पर अपना नामान्तरण किए जाने वावत आवेदन पत्र तहसील पोरसा के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्र.क्र. 33/06–07 **X** अ /6 अ पर पंजीबद्ध किया गया ।

3) यह कि प्रकरण में उपस्थित होकर आवेदक व तरतीवी अनावेदक गणो ने नामान्तरण में आपत्ति प्रस्तुत की ।

4) यह कि आवेदक व तरतीवी अनावेदक ने विचारण न्यायालय तहसील में एक आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र. भू. रा. संहिता का इस वावत प्रस्तुत किया कि अनावेदक का आवेदन पत्र सक्षम अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्रचलन योग्य नहीं है । और यह भी निवेदन किया कि अनावेदक से संस्था के सम्बन्ध में दस्तावेज सहायक रजिस्टार फर्म एवं संस्थाऐं द्वारा मान्य अध्यक्ष सचिव व अन्य पदाधिकारियों की सूची प्रस्तुत कराई जाते जो अनावेदक ने प्रस्तुत नहीं की ।